न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 139/2019

1 पन्नालाल पुत्र भुदाराम।
2 सुखाराम पुत्र भुदाराम।
3 जेसाराम पुत्र तिलोका।
4 भागीरथ पुत्र तिलोका।
5 मदन पुत्र तिलोका।
6 बलबीर पुत्र तिलोका।
7 लच्छी पुत्री तिलोका समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कांसली तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन पुत्र लच्छा।
2 गोविन्द पुत्र लच्छा।
3 मोहनी पुत्री रिड़मल।
4 रूकमा पुत्री भुदाराम।
5 मन्शाराम पुत्र मोटाराम।
6 भींवाराम पुत्र मोटाराम।
7 रिछपाल पुत्र मोटाराम।
8 पतासी पुत्री मोटाराम।
9 कमला पुत्री मोटाराम।
10 टीकूराम पुत्र ईशरराम।
11 रणजीत पुत्र ईशरराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 केशरदेव पुत्र ईशरराम।
13 नेमीचन्द पुत्र ईशरराम
14 धन्नी बेवा ईशरराम।
15 मन्शी पुत्री ईशरराम।
16 सुन्दर पुत्री ईशरराम।
17 सजना पुत्री ईशरराम।
18 परताराम पुत्र दुदाराम।
19 भींवाराम पुत्र दुदाराम।
20 भंवरी बेवा दुदाराम।
21 किस्तुरी पुत्री दुदाराम।
22 सोना देवी पुत्री दुदाराम।
23 सन्ता देवी पुत्री दुदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कांसली तहसील धोद जिला सीकर।
24 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद दिनांक 27.09.2019 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सुशीला चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटस ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1022 रकबा 4.34 हैक्टेयर तन ग्राम कांसली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादीगण 6/7 हिस्से का काबिज काश्तकार है। जो वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजीयात वादीगण के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजियात आई हुई है आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही सहवन से काबिज है। विवादित आराजियात की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है। जिसका रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से एकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट एक ही परिवार के सदस्य है तथा संहवन से उनके खातेदारी में आई हिस्से की भूमियों की खातेदारी सही दर्ज नहीं हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 4.34 हैक्टेयर तन ग्राम कांसली तहसील धोद से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6/7 हिस्से की भूमि अपीलांट्स के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलांट काबिज है बाकी रेस्पोडेंट के हिस्से में दूसरी भूमियां आई हुई है जिसके अलग से दावे व अपील विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आई हुई है उक्त तथ्य को रेस्पोडेंट ने स्वंय स्वीकार किया है। निर्णय व डिक्री सहमती पर आधारित होने के बावजूद कानूनी प्रावधानो के विपरित निर्णय देकर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.जे. सिविल राज. 2019 (1) पेज 450, डी.एन.जे. 2010 एस. सी. पेज 900, डी.एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 70, डी.एन.जे. 2011 (3) राज. पेज 1316 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने में आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट व रेस्पोडेंट एक ही परिवार के सदस्य है तथा संहवन से उनके खातेदारी में आई हिस्से की भूमियों की खातेदारी सही दर्ज नहीं हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 4.34 हैक्टेयर तन ग्राम कांसली तहसील धोद में से 6/7 हिस्से की भूमि अपीलांट्स के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलांट काबिज है बाकी रेस्पोडेंट के हिस्से में दूसरी भूमियां आई हुई है जिसके अलग से दावे व अपील विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आई हुई है उक्त तथ्य को रेस्पोडेंट ने स्वंय स्वीकार किया है। निर्णय व डिक्री सहमती पर आधारित होने के बावजूद कानूनी प्रावधानो के विपरित निर्णय देकर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सी0जे0 सिविल राज. 2019 (1) पेज 450 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया है कि " Law of Evidence- Admission of a party in the proceedings either in pleadings or oral is the best evidence, which needs no further corroboration. इसी प्रकार डी.एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 70 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Civil Procedure Code, 1908- O. 23, R. 3- compromise- Settlement arrived at between the parties and executed an agreement outside the Court - Agreement taken on record - Held, Judgment is set aside and appeal disposed of in terms of the compromise.

उपरोक्त विवेचन एव न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में उभयपक्ष की सहमती को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 4.84 हैक्टेयर तन ग्राम कांसली तहसील धोद जिला सीकर मे 6/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर